

महत्वपूर्ण

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक <sup>सा. 278/278</sup> बा0वि0परि0/योजना/2017-18,

दिनांक : 31 मई, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समिति के गठन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-20/2017/1406/60-2-17-2/1(38)/17 दिनांक 29.05.2017, जो आपको सम्बोधित व अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का संदर्भ लें, उक्त शासनादेश के द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समिति के गठन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।


अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.05.2017 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था से जनपद में कार्यरत समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं एवं ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को अवगत कराते हुये 30 जून, 2017 तक सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समिति का पुनर्गठन कराते हुये अनुपालन से 05 जुलाई, 2017 तक अवगत करायें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

  
( आनन्द कुमार सिंह )  
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या \_\_\_\_\_ / तददिनांक।

प्रतिलिपि:- सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

  
( आनन्द कुमार सिंह )  
निदेशक।